फा. सं. 14/1/2010-जेसीए2

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक; 18 अप्रैल, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सिलाई दरों में संशोधन ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय परिषद (जे.सी.एम.) में कर्मचारी पक्ष द्वारा उठाई गई एक मांग के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय एवं इससे सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों (विविध कार्य स्टाफ – जो पहले चपरासी, दफ्तरी, जमादार, कनिष्ठ गेस्टेटनर ऑपरेटर, फ्राश, चौकीदार, सफाईवाला, माली आदि और स्टॉफ कार चालक, हरकारा आदि तत्कालीन समूह घ पद) को दी गई वर्दियों की सिलाई खर्च की दरों को संशोधित करने के मामले पर वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके जांच की गई है । इसके परिणामस्वरूप इस मंत्रालय के दिनांक 28 सितंबर, 2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14/3/2006-जे.सी.ए. के द्वारा जारी पहले के अनुदेशों को आशोधित करके सिलाई खर्च की दरें 1 अप्रैल, 2011 से बढ़ाने का निर्णय किया गया है ।

2. सिलाई खर्च की संशोधित दरें दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से निम्नलिखित के अनुसार तय की गई हैं :-

सर्दी में

1)	बंद गले के कोट एवं पैंट	750/- रूपए
2)	स्टाफ कार चालकों के लिए ओवर कोट	600/- रूपए
3)	महिलाओं के लिए हाफ कोट	600/- रूपए

गर्मी में

4)	पैंट (टेरिकॉट)	135/- रूपए
5)	कमीज (पोली वस्त्र)	60/- रूपए
6)	ब्लाउज	45/- रूपए
7)	पेटीकोट	30/- रूपए
8)	सलवार कमीज	90/- रूपए

बचाव-परक कपड़े (मालियों/भिश्तियों) हेतु

9)	पाजामा	24/- रूपए
10)	नेकर (हाफ पैंट)	60/- रूपए
11)	कमीज (सूती)	45/- रूपए

3. कृपया यह ध्यान में रखा जाए कि निर्धारित दरों पर सिलाई खर्च की प्रतिपूर्ति तभी की जाए जब सिली हुई वर्दियां दिखाई जाए तथा पहचान के लिए उन सिले हुए पोशाकों के उलटी तरफ उपयुक्त स्थान पर पक्की स्याही से मुहर लगी हो । यह सुनिश्चित करने के लिए एक सही रिकार्ड तथा प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए कि कर्मचारी वर्दी का कपड़ा मिलने के बाद उचित समय (यानी एक महीने) में उन्हें दी गई अपनी सिली हुई वर्दियां प्रस्तुत कर दें ।

4. यह व्यय विभाग की सहमति से दिनांक 8/4/2011 की आई.डी. सं. 5(1)/ई-II(ए)/2009 के तहत जारी किया जाता है ।

दिनेश कपिला

(दिनेश कपिला)

निदेशक (जे.सी.ए.)

प्रतिलिपि :-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. संघ लोक सेवा आयोग/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/नियंत्रक और महालेखापरीक्षक/ भाषायी अल्पसंख्यक आयोग/ अनुसूचित जाति आयेग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अल्पसंख्यक आयोग/ राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/ उच्चतम न्यायालय/ उच्च न्यायालय/ केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/ केन्द्रीय सूचना आयोग/प्रधान मंत्री कार्यालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/ भारत निर्वाचन आयोग/ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग/ योजना आयोग/ राष्ट्रीय महिला आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय
3. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग
4. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त निकाय
5. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जे.सी.एम.) 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियां)
6. चेयरमैन/सचिव, केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति ।
7. पीआईओ, पीआईबी, शास्त्री भवन नई दिल्ली को इस अनुरोध सहित कि इस संबंध में आवश्यक प्रचार प्रसार किया जाए ।
8. सूचना सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (20 प्रतियां)
9. एनआईसी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) को इस अनुरोध सहित कि इस कार्यालय ज्ञापन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट (www.persmin.nic.in) पर डाल दें ।